

## समय सीमा समीक्षा बैठक दिनांक 22.05.2017 का कार्यवाही विवरण।

आज दिनांक 22.05.2017 को समय सीमा बैठक कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिसमें श्रीमति हर्षिका सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, श्री अंशुल गुप्ता, सहायक कलेक्टर, नगर के अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथा विभाग जिला प्रमुख उपस्थित रहे।

1. **वृक्षारोपण :-** पूर्व बैठक में निर्देश दिए गए थे कि 2 जुलाई को 50 लाख पौधों का वृक्षारोपण किया जाना है। इसी तरह इसके एक सप्ताह के अंदर 50 लाख और पौधों का वृक्षारोपण किया जाना है। नर्मदा के दोनों तटों पर 7 हजार हेक्टर भूमि वृक्षारोपण के लिये चिह्नित हुई है। जिसमें 500 पौधे प्रति हेक्टर के हिसाब से 3.50 लाख पौधों का रोपण किया जाना है। सभी कार्यालयों सरकारी निवास तथा केम्पस में पौधारोपण किया जाये। हिरन नदी, गौर नदी व नहरो के किनारे की खाली जमीन पर वृक्षारोपण किया जाये। ऐसे पौधे जिनकी आयु 2 वर्ष हो चुकी है का ही रोपण किया जाये। वृक्षारोपण के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन बनाया जाना है। जिसमें भूमि की उपलब्धता, पौधों की उपलब्धता तथा जनभागीदारी का समायोजन किया जाकर एक प्रजेन्टेशन श्री अंशुल गुप्ता (आई.ए.एस.) सहायक कलेक्टर को बनाये जाने के निर्देश दिये गये। जिसका मार्गदर्शन श्रीमति हर्षिका सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत करेगीं। भूमि उपलब्धता की जानकारी अधीक्षक भू-अभिलेख उपलब्ध करायें।

पौधारोपण हेतु गड़ढे खोदना प्रारंभ कर दिया जाये। शासकीय भूमि पर तहसीलदार चिन्हाकन कर परमीशन जारी करे।

2. **ग्राम उदय से भारत उदय :-** अंतिम रूप से हितग्राहियों को लाभांवित किया जाये। लाइली लक्ष्मी योजना के 452 प्रकरण अभी तक बाटे गये हैं। लगातार प्रगति लाना है। नई आगनवाड़ी तैयार हुई है। इसमें और प्रगति लाये। शिविर लगाये जाये, आस-पास के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ा जाये। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जल संकट से निपटने के लिये प्रभावी कदम उठाये जाये इसके लिये शासन की योजनाओं के तहत कार्य योजना तैयार की जाये तथा गंभीरता से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। पी.एच. ई. विभाग के कार्यपालन यंत्री से नलकूप खनन और राईजिंग पाईप डाले जाने तथा बंद नल जल योजनाओं को चालू कराने के लिये की गई कार्यवाही की जानकारी ली गई तथा प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये गये। रेल्वे, ग्रिड कार्पोरेशन, दुग्ध संघ, बैंकर्स, आयल कंपनी में वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण के कार्य जो किये जा रहे हैं। उसके लिये नोडल अधिकारी श्री एस.बी. मिश्रा जिला उद्योग केन्द्र को बनाया गया कि वे उक्त विभागों से समन्वय कर रिपोर्ट तैयार कर प्रगति में शामिल कराये। श्रम निरीक्षकों को ब्लाकवार कार्य सौपने के निर्देश सहायक श्रमायुक्त को दिये गये। चिकित्सा सहायता में सभी योजनाएं शामिल करने एवं प्रगति बढ़ाने तथा पोर्टल पर एन्ट्री दर्ज कराने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिये गये। सिहोरा, मझौली, पनागर, कुण्डम में पात्रता पर्ची की प्रगति कम है। जिला पंचायत में आज ही परीक्षण कराने के निर्देश श्री जैन सहायक खाद्य नियंत्रक को दिये गये।

3. **तालाबों की सफाई** :- पूर्व बैठक में निर्देश दिए गए थे कि तालाबों की साफ-सफाई तथा गहरीकरण का कार्य गत वर्ष ठीक ढंग से हुआ था। इस वर्ष भी उक्त कार्य अच्छे से किया जाये। सहायक संचालक मत्स्य को निर्देश दिये गये कि गत वर्ष की भांति मछुवारा सोसायटी के माध्यम से तालाबों की साफ-सफाई कराई जाये।
4. **सी एम हेल्प लाईन** :- कलेक्टर महोदय द्वारा सी.एम हेल्पलाईन की विभागवार समीक्षा की गई। मुख्य मंत्री जी की समाधान आन लाईन में संभावित एल-4 स्तर की शिकायतें जो चिन्हांकित की गई है इनके निराकरण के सख्त निर्देश दिए गए। विभिन्न स्तरों पर लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुये कलेक्टर महोदय द्वारा ऐसे अधिकारियों को शिकायतों का तेजी से निपटारा करने की हिदायत दी जिनके विभाग से संबंधित शिकायतें बड़ी संख्या में लंबित है। इनमें चिकित्सा शिक्षा, आदिवासी विकास, लेडी बैंक आदि शामिल है। सभी अधिकारियों को अपडेट रहने के निर्देश दिये गये। शिकायतों को एल-1 स्तर पर ही निराकृत करने के निर्देश दिये गये।
5. **जनसुनवाई** :- कलेक्टर महोदय द्वारा जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों की पुनः विभागवार समीक्षा की गई एवं जिन विभागों के पास जनसुनवाई के आवेदन अधिक संख्या में लंबित है उन पर असंतोष व्यक्त करते हुए तत्काल जवाब भेजने के निर्देश दिये गये। ऑन लाईन जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु शिकायतकर्ता से बात करें। जनसुनवाई की उक्त शिकायतों को गंभीरता से लेकर निराकरण किये जाने हेतु सख्त निर्देश दिए गए।
6. **समाधान ऑन लाईन** :- विभागीय अधिकारीवार जिम्मेदारी नियत की जाकर शतप्रतिशत निराकरण के प्रयास किये जाए। प्रधान मंत्री की वेब साईट पोर्टल पर लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा की गई। आर.ई.एस. की 10 शिकायतें लंबित पाई गई। जिनमें 2 पर निराकरण किये जाने की जानकारी कार्यपालन यंत्रों द्वारा दी गई। अपेक्षा की जाती है कि किसी भी विभाग का प्रश्न न आए। तेजी से लंबित प्रकरणों का निपटारा किया जाए। तथा प्रत्येक शिकायतकर्ता से बात की जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी एवं मुख्य सचिव से सीधे मिलने वाले, तथा प्रमुख सचिव द्वारा ही वें शिकायतें उठाई जाती है जिनका समाधान नहीं हुआ है। तथा सी.एम. हेल्प लाईन से भी शिकायतें समाधान ऑन लाईन में चयन की जाती है। विभागवार समीक्षा की गई। आज ही निराकरण कराए। राज्य शासन एवं पी.एम.ओ. पोर्टल की शिकायतें का त्वरित निराकरण करायें।
7. **स्वच्छ भारत** :- पूर्व बैठकों से लगातार निर्देश दिए जा रहे है कि पूरे भारत में जबलपुर शहर को अंतराष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान के रूप में चुना गया है इस संबंध में सभी विभाग कार्य करना सुनिश्चित करें। खुले में शौच से मुक्त बनाये जाने हेतु प्रत्येक क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जाये। सभी पंचायतों को ओ.डी.एफ. करना है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने अवगत कराया कि ओ.डी.एफ. हेतु अधिकारियों की डियूटी लगाई गई है। कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अधिकारीगण अनिवार्य रूप से क्षेत्र में जाये। जिला पंजीयक की भी इसमें डियूटी लगाने के निर्देश दिये गये।

✓

8. **दिव्यांग :-** पूर्व बैठक अनुसार नवाचार करते हुये दिव्यांगों द्वारा पौधारोपण कराया जाना है तैयार प्रारंभ हो चुकी है। दिव्यांगों को निराश्रित निधि से पौधे उपलब्ध कराने के निर्देश संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय को दिये गये। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा अवगत कराया गया कि दिव्यांगों के लिये रेडियों वार्ता प्रारंभ हो रही है। यह एक अच्छा कदम है इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये। आज की बैठक में निःशक्त जन तथा दिव्यांग के विवाह अधिक से अधिक संपन्न कराये जाने के निर्देश दिये गये। जनगणना के अनुसार जिले में 59000 निःशक्तजन है। इनके अधिक से अधिक पंजीयन कराये जाये। ताकि पोर्टल पर प्रगति प्रदर्शित हो सके। वार्डवार, निकायवार कैंप लगाये जाये अधिक से अधिक संख्या में इन्हें चिन्हिकित कर पंजीयन अभियान चलाया जाये तथा इनकी युनिवर्सल आईडी बनाई जाये शासकीय संवर्ग में जिनकी भी नौकरी इस कोटे से हुई है। उन सभी का पंजीयन कराये जाने हेतु समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया। पंजीयन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के लिये जनसंपर्क विभाग को निर्देश दिये गये। जिले के लोक सेवा केन्द्रों में भी यह सुविधा दी जाये। कलेक्टर महोदय की जनसुनवाई में भी दिव्यांग निःशक्तजन आते हैं। उनका भी पंजीयन कराये जाने हेतु प्रबंधक लोक सेवा केन्द्र को निर्देश दिये गये कि अगली बैठक तक शत प्रतिशत पंजीयन कराये जाये। सभी अधिकारियों को इस संबंध में 6 दिवस का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
9. **आनंदम् एवं नर्मदा सेवक :-** आनंदक एवं नर्मदा सेवक के रूप आनलाईन पंजीयन में जबलपुर जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। यह कार्य प्रशंसनीय है। प्रगति बनाये रखने के निर्देश दिये गये। वृक्षारोपण में भी आनलाईन पंजीयन प्रारंभ हो गया है। अपने-अपने केम्पस के पंजीयन सभी जिला अधिकारी आज ही कराये। नर्मदा समितियों का पंजीयन शेष है। श्री भीम सिंह जनभागीदार समिति को प्रगति लाने के निर्देश दिये गये। आनंदम् के कलैन्डर प्रभावशाली है। इन्हे सभी को वितरण के निर्देश दिये। आनंदम् का व्यापक प्रचार-प्रसार हो। क्षणिक आवेश में संतुलन खो कर जैसे परीक्षा के परिणाम आदि से होनी वाली अप्रिय घटनाओं पर रोक लगाये जाने हेतु सभी अधिकारी अपने स्तर पर प्रयास करना सुनिश्चित करें।
10. **समग्र पोर्टल पर आधार सीडिंग :-** परिवार के सभी सदस्यों का समग्र पोर्टल पर आधार सीडिंग कराया जाना सुनिश्चित हो पी.ओ. डूडा ने बताया कि केवल भेड़ाघाट की स्थिति ठीक है। शेष नगर निकाय में प्रगति बहुत कम है। जिसमें पनागर सबसे पीछे है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी पनागर को निलंबित किये जाने के आदेश जारी करने हेतु पी.ओ. डूडा को निर्देश दिये गये।
11. **मुख्य मंत्री कन्या दान योजना :-** इसमें शादियों की संख्या कम है। प्रगति बढ़ाये जाने हेतु अधिकारी इसे प्राथमिकता दे प्रदेश में जिले की स्थिति पीछे चल रही है। सिहोरा, पनागर, मझौली एवं कुण्डम में अधिक से अधिक विवाह कराये जाये। ताकि संख्या बढ़ सकें। संबंधित अधिकारियों को तदानुसार निर्देश दिये गये।

12. उप स्वास्थ्य केन्द्र बोरिया :- उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु बोरिया में भवन निर्माण स्लेव स्तर तक का कार्य हो चुका है। दान दाता परिवार द्वारा कोर्ट से स्टे लिया गया है। जिससे निर्माण कार्य रोक दिया गया है। किन्तु काफी सरकारी राशि अभी तक खर्च की जा चुकी है। यह जानकारी कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गई है। तत्संबंध में निराकरण हेतु दान दाता परिवार को कलेक्टर महोदय के समक्ष बुलाये जाने सी.एम.एच. ओ. को निर्देश दिये गये।

13. नर्मदा की तीनों सहायक नदियां :- इन नदियों के पर्यावरण पर कार्य किया जाये इनके शुद्धीकरण, प्रदूषण मुक्ति पर कार्य किया जाये अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने के निर्देश दिये गये।

जनप्रतिनिधियों, कमिश्नर कार्यालय, लोकायुक्त तथा आर्थिक अपराध ब्यूरो, मानव अधिकार आयोग तथा अन्य विभागों की शिकायतों की विभागवार समीक्षा की गई। निर्देश दिए गए कि ऐसी शिकायतों पत्रों पर गंभीरता दिखाई जाए।

उक्त निर्देशों के साथ मीटिंग सधन्यवाद समाप्त की गई।

M  
कलेक्टर  
जबलपुर

पृ.क्र/ 3984 /अधीक्षक/ टी.एल/ 2017

जबलपुर दिनांक 25 मई, 2017.

प्रतिलिपि :-

1. कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर।
2. जिले के समस्त विभाग प्रमुख को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

H  
कलेक्टर  
जबलपुर